उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 135/2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती करूणा सील पत्नी श्री हाजू सील, परिवादी
वार्ड नं0 03, संजयनगर खेड़ा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती करूणा सील पत्नी श्री हाजू सील का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892B154223203 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पहले लगभग रू0 300.00 से रू0 450.00 तक का आता था, लेकिन अब वर्तमान समय में उनका विद्युत बिल रू0 1000.00 से रू0 1200.00 का आने लगा है जो पहले की तुलना में बहुत अधिक है। वह इतना अधिक बिल जमा करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 1612.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 16.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—3434 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर लगे विद्युत संयोजन के सापेक्ष चैक मीटर हेतु भी पंजीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष परिवादिनी के परिसर पर विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर के सीलिंग प्रमाण पत्र सं0 12/00344 दिनांक 30.08.2023 के द्वारा चैक मापक (मापक सं0 820121) स्थापित किया गया तथा दिनांक 21.09.2023 को फाइनल किया गया, जिसमें परिवादिनी का विद्युत मापक सही चलता पाया गया। परिवादिनी के माह 09/2023 में निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष धनराशि रू0 751.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना/मुख्य मीटर सही चलता पाया गया। नियमानुसार सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	25/09/2023 (नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	25/09/2023 (सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य